



दी कांगड़ा को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड

सी-29, कम्यूनिटी सेंटर, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

सदस्यों के लिए आवश्यक सूचना

करोना महामारी के इस कठिन समय में बैंक सदस्यों को कुछ राहत देने के लिए निदेशक मण्डल ने एक स्पेशल ऋण स्कीम (SPECIAL LOAN SCHEME) आरम्भ की है जिसका नाम कोविड-19 ऋण राहत स्कीम (COVID-19 LOAN RELIEF SCHEME) है। इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक रेगुलर पेमास्टर मैम्बर (REGULAR PAYMASTER MEMBER) जिसने किसी भी प्रकार का ऋण लिया हो तथा जिस मैम्बर ने कोई ऋण नहीं लिया है परन्तु 12 महीने की मैम्बरशिप पूरी कर ली है वह क्रमशः 2 लाख रूपए तथा 1.50 लाख रूपए का ऋण ले सकता है परन्तु उसका अकाउंट NPA न हो। इस ऋण पर ब्याज दर 10% तथा अदायगी का अधिकतम समय 50 महीने होगा। स्कीम की अवधि 01.11.2020 से 15.01.2021 तक होगी।

स्कीम इस प्रकार है

1. जिन सदस्यों ने प्रापर्टी के ऊपर कोई भी ऋण ले रखा हो तथा ऋण की अदायगी ठीक तरीके से कर रहे हों वे 2 लाख रूपए का स्पेशल ऋण ले सकते हैं। इस ऋण के लिए SURETY की आवश्यकता नहीं होगी। ऋण पर ब्याज दर 10% तथा अदायगी का टाइम 50 किश्तें (EMIs) होगा।
2. जिन सदस्यों ने ऊपर दिए गए प्रापर्टी ऋण के इलावा कोई भी अन्य ऋण लिया है तो वे भी 1.50 लाख रूपए का ऋण ले सकते हैं यदि वे अपनी किश्तें रेगुलर दे रहे हैं। उन्हें इस ऋण के लिए रेगुलर पेमास्टर मैम्बर की SURETY दिलवानी होगी।
3. जिन सदस्यों ने कोई भी ऋण नहीं लिया है परन्तु उनकी सदस्यता 1 वर्ष अथवा उससे अधिक है वे सदस्य भी 1.50 लाख रूपए का ऋण ले सकते हैं यदि उनकी आय किश्त देने के लिए पर्याप्त है। उन्हें किसी रेगुलर पेमास्टर मैम्बर की SURETY दिलवानी होगी। सभी सदस्यों से अनुरोध है की वे इस स्कीम का लाभ उठाएं।

निदेशक मण्डल

Service to community with smile through co-operatives